नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0
7वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या:341यूटीडी / 16–21यूटीडी / 16 दिनांकः 29 जुलाई,2016

कार्यालय आदेश

डीयूटीएफ की बैठक दिनांक 19.01.2016 में एजेण्डा बिन्दु संख्याः 4एफ यथा नगरीय परिवहन निदेशालय के अन्य व्ययों की व्यवस्था का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बैठक का कार्यवृत्त शासन के पत्र संख्याः 12एमएस(2) / नौ–5–2016–83सा / 2009टीसी दिनांक 15 फरवरी, 2016 द्वारा परिचालित किया गया। तदनुक्रम में नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या:26 / 2016 / 482 / नौ–5–16–83सा / 2009टीसी दिनांक 22 फरवरी, 2016 के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।

उक्त मद में वर्गीकृत धनराशि रू0 113.00 लाख में से शासकीय कार्यो हेतु प्रयुक्त डेटा कार्ड टाटा डोकोमो फोटॉन प्लस (9235031385) जो श्री सुनील प्रशाद, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 के नाम में पंजीकृत है, के माह जून, 2016 के भुगतान किये जा चुके बीजक की प्रतिपूर्ति करने हेतु रू0 1150.00 (रूपये एक हजार एक सौ पचास मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अमीनाबाद शाखा, लखनऊ के खाता संख्याः 11135954758, **IFSC Code** SBIN0001526 में अन्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(सुखेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपिः समसंख्यक / समदिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, वित्त(व्यय नियन्त्रण), अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. वित्त नियन्त्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0।
6. श्री सुनील प्रशाद, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0।
7. सहायक प्रधान प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि निम्नांकित तालिका में वर्णित धनराशि संबंधित श्री सुनील प्रशाद, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को **"UP DUTF State Nodal Account" खाता संख्या 35406635067** में उपलब्ध धनराशि में से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से निम्न खाते में अन्तरित करना सुनिश्चित करें:–

Account Holder's Name	Bank	Account Number	IFSC Code	Amount In Rs.
Sunil Prashad	SBI, Aminabad Branch, Lko	11135954758	SBIN0001526	1150-00

8. कार्यालय प्रभारी, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कार्यालय आदेश की एक प्रति पत्रावली संख्याः 35यूटीडी / 16 में संकलित करायें एवं इसका लेखा–जोखा पृथक से रखा जाय।
9. कार्यालय प्रति / गार्ड फाइल।

(सुखेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक
29/7/2016

(viii) कम्प्यूटर क्रय हेतु माडल डाक्यूमेंट बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट www/ up.govt.in/infotech पर उपलब्ध है।

11. निविदा सूचना का व्यापक प्रचार

निविदा आमंत्रण सूचना का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि से किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) में प्रकाशन, सूचीबद्ध अदाताओं को सीधे परिपत्र द्वारा सूचित करना, समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन तथा स्वयं के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाना आदि कुछ विधियाँ है। बड़े मूल्य का टेंडर मांगा जाय तो उसका प्रकाशन दूर–दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो/तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए। टेण्डर सूचना के विज्ञापन में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख होना चाहिये कि टेण्डर किस स्थान पर एवं किस तिथि तथा समय तक डाले जाने तथा कब खोले जाने हैं। टेण्डर सूचना में वांछित अर्नेस्ट मनी तथा टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित सेक्योरिटी मनी के बारे में भी विवरण दिया जाय तथा यह स्पष्ट किया जाय कि सभी टेण्डरों को बिना कारण बताये, सक्षम अधिकारी (कौन है, लिखा जायं) द्वारा निरस्त किया जा सकता है। शा0सं0 ए–1–1173/दस–2001–10(55)/2000, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के अनुसार शासन के विभाग द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा प्रति www.up.info.org की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा वेबसाइट पर उसे रखने का कार्य सूचना निदेशालय के माध्यम से किया जाता है।

ऐसी सामग्री जो क्रेता द्वारा तय मानदण्ड के अनुसार क्रय किया जाना परमावश्यक हो और उसका उत्पादक मात्र अकेला हो तो उस दशा में सीधे उत्पादक से टेण्डर मांगा जायेगा। सावधानी यह होगी कि क्रेता किन्ही कारणों से विशेष सामग्री हेतु उसके उत्पादक को एकल उत्पादक न घोषित करे। क्रेता अधिकारी /समिति को इस आशय का प्रमाणक उल्लिखित करना पड़ता है कि यह प्रोप्राइटरी आइटम है। ऐसे प्रकरणों में निदेशक उद्योग से परामर्श लिया जा सकता है कि क्या वांछित सामग्री प्रोप्राइटरी आइटम है या नहीं ?

12. निविदा प्रपत्र में उल्लेखनीय प्रमुख प्राविधान

(क) ₹1,00,000 से अधिक की निविदाएँ बड़े मूल्य की निविदाएँ मानी जायेंगी तथा उनकी प्राप्ति के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा।

(ख) यथासम्भव, निविदायें इस उद्देश्य से निर्धारित मानक प्रपत्र पर आमंत्रित की जानी चाहिये। टेण्डर सूचना या विज्ञापन टेण्डर प्रपत्र का भाग बन जाता है। टेण्डर प्रपत्र में आपूर्ति की जानी वाली सामग्री का विवरण, मात्रा, निर्दिष्टयाँ, आपूर्ति स्थल, आपूर्ति समय, लदाई–उतराई का दायित्व, पैकिंग, एक्सपायरी तिथि भुगतान की शर्तें, परीक्षण/बेंचमार्किंग, कटौतियाँ, आपूर्ति की मात्रा तथा उसमें घट–बढ़, अर्नेस्ट मनी, सेक्योरिटी मनी, न्याय क्षेत्र, आरबिट्रेशन इत्यादि सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

(ग) अर्नेस्ट मनी सामान्यतया निम्नांकित दर से मांगी जायेगी। यदि अर्नेस्ट मनी में किसी विशेष दशा में कोई छूट दी जानी हो तो उसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

₹1,900 + एक लाख से ऊपर मूल्य की निविदाओं के प्रत्येक अतिरिक्त ₹ पाँच हजार या उसके किसी भाग पर ₹100 परन्तु किसी भी दशा में अर्नेस्ट मनी अनुमानित क्रय मूल्य के 1/2 प्रतिशत से कम और 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाँच, भाग–1 के पैरा 71 के अनुसार जमानत धनराशि की धनराशि, राष्ट्रीय बचतपत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र आदि श्री राज्यपाल के पक्ष में बन्धक होंगे तथा मियादी जमा रसीदें एवं बैंक जमा रसीदें श्री राज्यपाल के नाम से जारी होंगी।